फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

चमेली बनाम **धन्नी**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 168. सन–2022

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील मे जारी हुए
20.07.2022	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान /अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 82/82 की कुल 25.3430हैक भूमि गैरसायलान के नाम दर्ज में से विशेष हिस्से का बेचान आगामी तारीख पेशी तक नही किया जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं यह स्थगन आदेश भूमि पैमाईश व खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 29.09.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
29.9.2022	वकील सायल उपस्थित। गैर सायलान संख्या 1 की ओर से श्री मदन सिंह मोहन जोशी Adv. ने वकालतनामा पेश किया जो मूल दावा में शामिल है। गैर सायलान संख्या 1 ता 5 के सम्मन की रजिस्टर्ड रसीद पेश की जो शामिल पत्रावली हो। पत्रावली वास्ते तलबी शेष प्रतिवादीगण /जवाब दिनांक 16/11/2022 को पेश हो।	
16.11.2022	वकुलाय फरीकैन उपस्थित [illegible] उपस्थित। वादीया की ओर से प्रस्तुत [illegible] दावा withdraw के साथ खारिज किया जा चुका है [illegible] में अन्तगानी प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने पर प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.13 18:00:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner